संख्या–17M(4)/35–आ–1/2009

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग–1

लखनऊ: दिनॉक: 14 जनवरी, 2015

विषय:– आधार कार्ड के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि स्टेट रजिस्ट्रार्स के माध्यम से आधार कार्ड योजना के कियान्वयन हेतु एजेंसी की चयन प्रकिया प्रचलित है। आधार कार्ड का नामांकन का कार्य वर्तमान में नान स्टेट रजिस्ट्रार्स के माध्यम से संचालित हो रहा है। नान स्टेट रजिस्ट्रार्स द्वारा प्रत्येक जनपद में नामांकन एजेंसियों का चयन किया गया है। जिलावार नान स्टेट रजिस्ट्रार्स व नामांकन हेतु एजेंसी की सूची आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।

समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से यह शिकायत मिली है कि वर्तमान में प्रचलित आधार नामांकन में ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय एजेंसी के कर्मचारी व अन्य बिचौलियों द्वारा नागरिकों से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। आप अवगत ही है कि आधार कार्ड का नामांकन पूर्ण रूप से निःशुल्क है।

अतः इस कम में आपसे अपेक्षा है कि जिला प्रशासन आधार नामांकन के निःशुल्क होने का व्यापक प्रचार अपने जनपद में सुनिश्चित करा लें। अगर इस प्रकार अनुचित धनराशि के मांगने की घटनाएं प्रकाश में आती हैं तो उसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आपसे पुनः अनुरोध करना है कि अपने जनपद में कार्यरत नान स्टेट रजिस्ट्रार्स व उनके एजेंसियों की समय–समय पर समीक्षा करते रहें, जिससे इस प्रकार की शिकायतों पर अंकुश लग सके और आधार कार्ड के नामांकन की प्रकिया में उनको आने वाली कठिनाईयों का भी निराकरण हो सके।

भवदीय,

14/1/15

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

संख्या– 1719(4)(1)/35–आ–1/2009-12

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों/उप महानिदेशक, आधार कार्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे भी अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।